Government of Punjab
Department of Forests & Wildlife Preservation
O/o Principal Chief Conservator of Forests (Hoff)
Forests Complex, Sector 68, SAS Nagar.

Order No.FCA/1980/PBIP/69/2016/ Dated:

ORDER

Whereas Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, approved **diversion of 0.0040 (instead of 0.009686 ha) of forest land in favour of M/s. AGI Infra Ltd. (Residential Porject) for construction of approach road to the M/s AGI Infra Ltd., (Residential Project) namely Jalandhar Heights-II of Sh. Sukhdev Singh at village-Phloriwal on 66 Feet road, Urban Estate, Phase-II, km. 3-4 L/s, under Forest Division and Distt. Jalandhar (Online Proposal No. FP/PB/Others/16064/2015),** vide F.No. **9-PBB497/2016-CHA** dated **01/05.03.2018** (copy enclosed) and no tree/pole/plant will be felled according to the proposal.

Consequent upon the aforesaid prior approval of Government of India, and payment of the requisite charges as laid down by Government of India and State Government by the User Agency, sanction of the State Government is hereby conveyed to the user agency **(M/s. AGI Infra Ltd.,)** for use of **diversion of 0.0040 ha. (instead of 0.009686 ha.)** of forest land for non-forest purposes i.e. **of forest land in favour of M/s. AGI Infra Ltd. (Residential Porject) for construction of approach road to the M/s AGI Infra Ltd., (Residential Project) namely Jalandhar Heights-II of Sh. Sukhdev Singh at village-Phloriwal on 66 Feet road, Urban Estate, Phase-II, km. 3-4 L/s, under Forest Division and Distt. Jalandhar (Online Proposal No. FP/PB/Others/16064/2015).** The user agency will be bound to comply with the conditions imposed in the aforesaid approval of Government of India as well as other conditions laid by the State Government.

This is in accordance with Govt. of Punjab order letter no. **26/50/2016-ft-3/873810/01** dated:-**09.11.2016**.

Addl. PCCF (FC) –cum-
Nodal Officer (FCA),
Department of Forests & Wildlife Preservation,
Punjab.

Endst. No.FCA/1980/PBIP/69/2016/ 5888-91 Dated: 9/3/18

A copy of above is forwarded to the following for information and necessary action for compliance of all the conditions imposed by Government of India in the aforesaid approval dated **05.03.2018.** Further, Compliance of order of the Hon'ble NGT, New Delhi Dated 19.05.2016 in O.A No. 161 of 2016 and O.A 162 of 2016 Dr. Amandeep Aggarwal v/s State of Punjab & others and Peacock Environment & Wildlife v/s State of Punjab & others should also be ensured.

1. Chief Conservator Forests **(PBIP),** Forest Complex, S.A.S. Nagar, Mohali.
2. Conservator of Forests, **Bist Circle, Jalandhar**, Punjab.
3. Divisional Forest Officer, **Jalandhar,** Punjab.
4. **Sh. Sukhdev Singh S/o Sh. Inder Singh, 1074, Urban Estate, Phase-II, c/o M/s A.G.I Infra Ltd., Jalandhar, Pb.**
5. Master file.

FCA 19/3/18

451 19/3/18

Addl. PCCF (FC) –cum-
Nodal Officer (FCA),
Department of Forests & Wildlife Preservation,
Punjab

ਪਿੱਠਅੰਕਣਨੰ:JFD/FCA 9873-76 ਮਿਤੀ: 27/12/18

ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

1. **Sh. Sukhdev Singh S/o Sh. Inder Singh, 1074, Urban Estate Phase-II, C/o M/s A.G.I Infra Ltd., Jalandhar, Pb.** ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ **National Green Tribunal New Delhi** ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ **19.05.2016 in O.A No. 161 of 2016 and O.A 162 of 2016 and Dr. Amandeep Aggarwal V/s State of Punjab & Others and Peacock Environment & Wildlife V/s State of Punjab & Other** ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

2. ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ **National Green Tribunal New Delhi** ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ **19.05.2016 in O.A No. 161 of 2016 and O.A 162 of 2016 and Dr. Amandeep Aggarwal V/s State of Punjab & Others and Peacock Environment & Wildlife V/s State of Punjab & Other** ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯੂਜਰ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਵਣ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ **Apra Minor RD 35 to Tail B/s Area 6.00 Ha. of Tehsil Phillaur & District Jalandhar** ਸੀ.ਏ ਸਾਈਟ ਤੇ **0.05** ਹੈਕਟਰ ਵਣ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ **50** ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ **National Green Tribunal New Delhi** ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ **19.05.2016 in O.A No. 161 of 2016 and O.A 162 of 2016** ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਮਾਸਟਰ ਫਾਈਲ

ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ,
ਜਲੰਧਰ ਵਣ ਮੰਡਲ,
ਫਿਲੌਰ।

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh

मिसिल संख्या -: 9-PBB497/2016-CHA

दिनांक : 01 मार्च 2018
05

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,
सेक्टर-9, चण्डीगढ ।

विषयः- Diversion of 0.0040 ha (instead of 0.009686 ha) of forest land in favour of M/s AGI Infra Ltd. (Residential Project) for construction of approach road to the M/s AGI Infra Ltd. (Residential Project) Namely Jalandhar Heights-II of Sh. Sukhdev Singh at village-Phloriwal on 66 feet road Urban Estate, Phase-II, km 3-4 L/s under Forest Division and District Jalandhar, Punjab (Online Proposal No. FP/PB/Others/16064/2015) regarding

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से संम्बन्धित अतिरिक्त सचिव, पंजाब सरकार, वन एवं वन्य जीव संरक्षक विभाग के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/69/2016/9111 दिनांक 16.12.2016 की ओर दिलाया जाता है जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.10.2017 द्वारा सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त अपर मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०) व नोडल अधिकारी के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/69/2016/2808 दिनांक 19.02.2018 द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0040 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिकं परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष या पौधा नहीं काटा जाएगा |
iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 25,477/- रूपये (पच्चीस हजार चार सौ सतत्तर केवल) की राशि से 0.05 हैक्टेयर वन क्षेत्र में पौधे लगाकरकिया जायेगा |
iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
v. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा ।
vi. जब कभी भी NPV की राशी बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |
vii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|
viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |
ix. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |
x. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी |

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in

xi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी | प्रत्येक खम्बें पर क्रम संख्या, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक तथा एक खम्बें से दूसरे खम्बें की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जायेगी |

xii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xiv. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी |

2. मत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है | *राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |*

भवदीय,

05/03/2018

(सी० डी० सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन ,मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फोरेस्ट कॉम्पलैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल और जिला जालंधर, पंजाब |
4. M/s AGI Infra Ltd., (Residential Project) Namely Jalandhar Heights-II of Sh. Sukhev Singh at village-Phloriwal, District Jalandhar, Punjab.

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in